जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर 86/17

अपील सूचना अधिकार संख्या 86/2017 अनवानी श्री हरचन्द भाम्भू पुत्र श्री ख्यालीराम भाम्भू पो0 राजपुरा पीपरेन तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20–12–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरचन्द भांभू उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हरचन्द भांभू ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1.जोहड़ व पायतन भूमि पर बने पुराने राजकीय विद्यालयों को भू–स्वामित्व प्रमाण/पट्टा जारी करने हेतु जारी नियमावली/आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. नर्सरी/वन विभाग की भूमि पर बने पुराने राजकीय विद्यालयों को भू–स्वामित्व प्रमाण/पट्टा जारी करने हेतु जारी नियमावली/आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. नर्सरी/वन विभाग की भूमि पर बने पुराने निजी आवासीय भवनों को भू–स्वामित्व प्रमाण/पट्टा जारी करने हेतु जारी नियमावली/आदेशो की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचनांओ का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया है। इसलिए उसकी अपील स्वीकार कर चाही गई सूचनांए उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 4102 दिनांक 01.12.2017 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 3 में नियमावाली/आदेशो की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही है जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाते है इसलिए चाही गई सूचना उनके कार्यालय द्वारा उपलब्ध नही करवाई जा सकती।

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्र संख्या 3956 दिनांक 13.10.17 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 3 तक नियमावली/आदेशो की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। नियमावली/आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाते है। जिसकी प्रति पालना हेतु संबंधित को प्रेषित की जाती है। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय द्वारा नही दी जा सकती है। आपका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर 86/17

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 13.10.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2179-80
28.12.17

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर